उ0 प्र0
शक्ति भवन, [illegible]

सं0 2951-औ.स.-17/पा0का0वि/2[illegible] . 1. दि0 31 अक्टूबर 2000

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती परिपत्र के आदेश संख्या 3983-औस/रा0वि0-17/96-11(11) एफ/86 दिनांक 19.10.1996 से सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी उक्त आदेश के निर्गतन की तिथि से समान रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ आवारित होंगे कि निस्तारित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों को पुनरोदघाटित नहीं किया जायेगा।

निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)

सं0 2951-1-औ.स.-17/पा0का0वि/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री / मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव.
2. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि.
3. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0.
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति, उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0
6. अनुसचिव, वित्त एवं कार्मिक नीति , उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ
8. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध ।

आज्ञा से,

(राव/ मिश्र)
का0 अधिकारी